

15/11/25

पत्रा पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर। प्रार्थी वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रा पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। जिससे स्पष्ट है कि दावा के मैटर को सुरक्षित रखने के लिए दावा के निस्तारण तक रिकॉर्ड निष्पेक्षा से पाबंद किया जाना व्यायोजित प्रतीत होता है।

अतः दावे के निस्तारण तक उभयपक्षकारणों के रिकॉर्ड निष्पेक्षा से पाबंद किया जाकर स्वगत आदेश दिनांक 01/04/2021 को नॉर्फेसल कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से काम की जाकर देखिल दफ्तर ले।